



राज्य जल नीति



फरवरी, 2010

राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग, राजस्थान
जयपुर

अनुक्रमांक

राजस्थान में जल संबंधित परिदृश्य	1
जलनीति दृष्टिकोण	4
राज्य जल नीति	5
1. जल आपूर्ति एवं विकास	5
1.1 जल आवंटन की प्राथमिकताएं	5
1.2 पेयजल आपूर्ति	5
1.3 जल उपलब्धता में वृद्धि	6
1.4 परियोजनाओं की संरचना एवं कियान्वयन	7
1.5 इन्टरबेसिन एवं इन्टरसबबेसिन जल अपवर्तन	7
1.6 सिंचित क्षेत्र विकास कार्य परियोजना का भाग	7
2. एकीकृत जल संसाधन प्रबन्धन (IWRM)	7
2.1 जल उपभोक्ताओं का संगठन एवं भागीदारी	7
2.2 जल उपयोग समूहों के लिए संसाधन	8
2.3 सामुदायिक स्तर पर तकनीकी प्रोत्साहन एवं सहायता	9
3. सिंचाई जल	9
3.1 सिंचाई पद्धतियां	9
4 जल संसाधन आधारभूत ढांचा	10
4.1 आंकड़ों का संकलन एवं प्रसार	10
4.2 सूचना प्रबंधन तंत्र	10
4.3 संरचनाओं की क्षमता एवं सुरक्षा	10
4.4 जल निकास एवं लवणीयता	11
4.5 शहरी जल आपूर्ति एवं दूषित जल निकास	11
5. जल संरक्षण	12
5.1 सामान्य जल संरक्षण	12
5.2 शहरी जल संरक्षण	12
5.3 नगरपालिका एवं औद्योगिक जल संरक्षण	12
5.4 ग्रामीण एवं कृषि जल संरक्षण	12
5.5 भू जल	13
6 जल गुणवत्ता	13
6.1 जल गुणवत्ता एवं प्रदूषण	13
6.2 गन्दा पानी	13
7 पर्यावरण	14
7.1 पर्यावरण प्रबन्धन	14
7.2 सूखा प्रबंधन	14
7.3 बाढ़ नियंत्रण एवं जल संग्रहण	14
8 जल शुल्क	14
9 विधिक आधार	15
10 क्षमता विकास	15
11 संस्थागत सुधार	16
12 अनुसंधान	16
13 राज्य जल नीति एवं कार्य योजना की मॉनिटरिंग एवं मुल्यांकन	16

राजस्थान में जल संबंधित परिवृश्य

- राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य में जल की स्थिति अत्यन्त विकट है। राजस्थान का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 10.4 प्रतिशत है तथा राज्य की जनसंख्या देश की जनसंख्या की 5.5 प्रतिशत है एवं राज्य में पशुधन देश के पशुधन का 18.7 प्रतिशत है। राज्य में कुल सतही जल देश में उपलब्ध सतही जल मात्र 1.16 प्रतिशत ही है। राज्य का 2 तिहाई भाग बृहद थार रेगिस्तान है जो कि मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र को छोड़कर देश के अन्य राज्यों से बड़ा है। देश के कुल 142 रेगिस्तानी ब्लॉकों में से 85 ब्लॉक राज्य में हैं जिससे जल की समस्या और विकराल हो जाती है।
- भूजल की स्थिति भी अत्यधिक चिन्तनीय है। पिछले दो दशकों में यह समस्या बहुत तेजी से बढ़ी है। भूजल दोहन का स्तर जो वर्ष 1984 में मात्र 35 प्रतिशत था बढ़कर वर्ष 2008 में 138 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच गया है। राज्य के कुल 237 ब्लॉकों में से मात्र 30 ब्लॉक सुरक्षित वर्ग में हैं। यह राज्य में विकट जल संसाधनों की स्थिति से निपटने के लिए शीघ्र सुधारवादी तरीकों की आवश्यकता की ओर झंगित करता है।
- राजस्थान राज्य हमेशा से जल की कमी वाला क्षेत्र रहा है। राज्य में वर्षा अनियमित है एवं यहाँ पर वर्षा के प्रतिमान में भारी अंतर है, वार्षिक औसत वर्षा जैसलमेर में 100 मि.मी. से झालावाड़ में 800 मि.मी. तक होती है। राज्य की वार्षिक औसत वर्षा 531 मि.मी. है। राज्य

के 22 पूर्वी जिलों के लिए यह 688 मि.मी. है, जबकि शेष पश्चिमी जिलों के लिए यह केवल 318 मि.मी. है। राज्य में पिछले 50 वर्षों में लगातार सूखे व अकाल की स्थिति रही है। राज्य के बहुत बड़े भाग में पेयजल हेतु भूजल उपलब्ध नहीं है। कभी-कभी पेयजल ट्रॉकों, ट्रेनों या अन्य तरीकों से पहुँचाया जाता है।

जनसंख्या वृद्धि और अन्य प्रकार की जल आवश्यकताओं में वृद्धि से राज्य अत्यधिक जल संकट की ओर अग्रसित हो रहा है। राज्य में प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता लगभग 780 घन मी. (जुलाई, वर्ष 2009 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर) है जबकि न्यूनतम आवश्यकता 1000 घन मी. आंकी गई है। इस बात की आशंका है कि वर्ष 2050 तक यह उपलब्धता कम होकर लगभग 450 घन मी. रह जायेगी। स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार 500 घन मी. से कम जल उपलब्धता अत्यधिक जल संकट का द्योतक है। जनसंख्या में वृद्धि एवं स्वच्छता के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण पेयजल की मांग में तीव्र वृद्धि हुई है। तदनुसार कृषि कार्यों हेतु जल की मांग जो कि वर्ष 1995 में 3.28 बिलियन घन मी. थी वर्ष 2045 में बढ़कर 8.07 बिलियन घन मी. तक पहुँचना संभावित है।

राज्य में कुल सतही जल संसाधन 21.7 बिलियन घन मी. हैं, इसमें से 16.05 घन मी. का उपयोग आर्थिक रूप से उपादेय है। राज्य ने अब तक 11.84 बिलियन घन मी. जल का संधारण कर लिया है जो कि आर्थिक रूप से उपादेय संग्रहण

- जल का 72 प्रतिशत है। 17.89 बिलियन घन मी. जल अन्तर्राज्यीय समझौतों द्वारा प्राप्त होता है।
- सिंचाई क्षमता में वृद्धि 2.47 लाख हैक्टेयर से 34.96 लाख हैक्टेयर (इन्दिरा नहर परियोजना सहित) एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि उपलब्ध जल, पेयजल, कृषि एवं अकृषि मांगों को पूरा करने को पर्याप्त नहीं है।

जल क्षेत्र में संवेदनशील तथ्य

- जल की मांग एवं आपूर्ति में बढ़ता असंतुलन
 - राज्य में जल की उपलब्धता, जल की मांग के समानुपातिक नहीं है। वर्तमान में जल की आपूर्ति एवं मांग में 8 बिलियन घन मी. का अन्तर है जो कि वर्ष 2015 तक बढ़कर 9 बिलियन घन मी. होने की संभावना है। अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की आवश्यकता 1000 घन मी. है। जबकि राजस्थान राज्य में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता 780 घन मी. है एवं यह उपलब्धता वर्ष 2050 तक घटकर लगभग 450 घन मी. रह जाने की आशंका है।
- जल की उपलब्धता की अनिश्चयता

राजस्थान राज्य के अधिकांश भागों में वर्षा जल न केवल अपर्याप्त है बल्कि वर्ष दर वर्ष एवं स्थान दर स्थान पर भी वर्षा की मात्रा में भारी अंतर है। वर्षा जल मानसून के केवल 2 मासों में प्राप्त होता है एवं वास्तविक वर्षा दिवस गिनती के हैं। राज्य को अन्तर्राज्यीय जल बटवारा समझौतों से आवंटित जल पर भी निर्भर रहना होता है, जो कि नदियों में प्रवाहित होने वाले जल की मात्रा पर आधारित है।

जल तक पहुँच में असमानता

विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा जल प्रतिमान एवं भूजल उपलब्धता में भारी अंतर के कारण जल पहुँच में कुछ अन्तर अपरिहार्य है। इसलिए विभिन्न जल उपभोक्ता क्षेत्रों के लिए जल प्रबन्धन पर राज्य सरकार द्वारा पेयजल, कृषि, उद्योग व अन्य नहर के प्रारम्भ और छोर, शहरी व ग्रामीण जन एवं समाज के धनाड्य एवं निर्धन वर्ग की पहुँच में अनियमितता को दूर करने पर जोर दिया जा रहा है।

जल संसाधनों की अल्प कार्य दक्षता

सीमित जल उपलब्धता की समस्या अल्प कार्य दक्षता के कारण और विकट हो गयी है। उपयोग जैसे कि पेयजल एवं सिंचाई दोनों ही उपयोग में रोक सकने वाली क्षति दर्शित हो रही है। यह स्थिति तुरन्त सुधारवादी कदमों की आवश्यकता को दर्शाती है जो कि उठाये जा रहे हैं।

भू जल संसाधनों का गिरता स्तर एवं जल गुणवत्ता में गिरावट

भू जल पर बढ़ती निर्भरता के कारण भूजल संसाधन तीव्र दर से रीते हो रहे हैं। पेयजल का लगभग 90 प्रतिशत एवं कृषि क्षेत्र में जल आवश्यकता का 60 प्रतिशत भूजल से दोहित किया जाता है। इस प्रकार न केवल भूजल का क्षरण खतरनाक स्तर तक हो गया है बल्कि भूजल की गुणवत्ता में भी लगातार गिरावट आई है जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। राज्य का लगभग 80 प्रतिशत क्षेत्र वर्तमान में भूजल क्षरण से ग्रसित हो रहा है। रबी की फसल के लिए अत्यधिक भूजल दोहन के कारण राज्य के बहुत से क्षेत्रों में गर्मी में पीने के पानी की अत्यधिक कमी अनुभव की जा रही है।

- सेवा की उच्च लागत, लागत की अल्प •
वसूली एवं रख—रखाव पर व्यय की कमी

उपभोक्ताओं से वसूली जाने वाली जल दरें जल की अल्पता की भावना को दर्शित नहीं करती है। जल संसाधनों के स्थाई विकास के लिए जल दरों को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है जिससे पूरी रख—रखाव शुल्क वसूली की ओर बढ़ा जा सके।

उपभोक्ताओं में स्वामित्व का अभाव

जल संसाधन क्षेत्र में निर्माण और प्रबन्धन का कार्य वर्तमान में राज्य सरकार का दायित्व है लेकिन अपर्याप्त संसाधनों के कारण प्रबन्धन करने में निरन्तर कठिनाई हो रही है। अतः जल संसाधनों के स्थाई विकास के लिए निर्माण, रखरखाव एवं राजस्व वसूली के लिए जल उपभोक्ताओं की भागीदारी अनिवार्य है।

जलनीति दृष्टिकोण

जल क्षेत्र में बेहतर अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारिक नीति के समकक्ष राजस्थान सरकार ने अब तक प्रभावी अभियांत्रिक उपायों के विपरीत समुदाय आधारित जल संसाधन प्रबन्धन उपायों को प्राथमिकता दी है। यह परिवर्तन समुदाय का सशक्तिकरण और सामुदायिक दायित्व उनके अपने जल का प्रबन्धन “एकीकृत जल संसाधन प्रबन्धन” की छत्र छाया के अन्तर्गत किया जाना है। इसमें अधिकतर नीचे से ऊपर निर्णय तथा ऊपर से नीचे की ओर तकनीकी सहायता और अधिक विस्तृत तर्कसंगत जल प्रबन्धन निहित है। एकीकृत जल संसाधन प्रबन्धन के सिद्धान्तों के अन्तर्गत सरकारी संस्थान केन्द्रीय नियंत्रक संस्था के स्थान पर बहु-आयामी “तकनीकी सहायता प्रदाता” के रूप में कार्य करेंगे। नीति के कई पक्ष इस नवीन परिदृष्टि के अन्तर्गत कार्य करेंगे। राज्य जल नीति के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं :—

- जल संसाधनों को सुनियोजित तरीके से विकसित किया जायेगा।
- विभिन्न उपयोगों हेतु जल वितरण निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर किया जायेगा।
- सभी नई परियोजनाएं सुक्ष्म जलग्रहण क्षेत्र पर आधारित होगी जिससे आधिक्य जल के उपयोग में समानता सुनिश्चित हो।
- नई परियोजनाओं के निर्माण के साथ ही अब तक निर्मित परियोजनाओं के रख-रखाव पर समुचित ध्यान दिया जायेगा।
- इस नीति का उद्देश्य उपलब्ध सतही जल संसाधन के बेहतर उपयोग एवं सिंचाई क्षमता द्वारा सिंचाई जल की मांग को कम करना।

वृहद जल संरक्षण उपाय एवं प्रभावी कृत्रिम पुर्नभरण द्वारा असंतुलन को कम किया जायेगा।

जल विकास आयोजना में दक्षता लाने हेतु सुनियोजित सूचना तंत्र विकसित किया जायेगा।

आपूर्ति आधारित प्रबन्धन के स्थान पर मांग आधारित प्रबन्धन जलनीति का आवश्यक अंग होगा।

उपभोक्ता समूहों में जल के प्रति स्वामित्व की भावना जागृत करने के उद्देश्य से जल प्रबन्धन में उपभोक्ताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जायेगा। इन संगठनों की जल प्रबन्धन की क्षमता में बढ़ोत्तरी हेतु गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा।

गिरते भूजल स्तर को रोकने एवं बेहतर जल संसाधन प्रबन्धन हेतु संबंधित कानूनों में आवश्यक संशोधन किये जायेंगे।

जल शुल्क को तर्क संगत बनाया जायेगा।

जल से संबंधित विभागों की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

राज्य जल नीति के उद्देश्य :—

- नदी जलग्रहण एवं लघु जलग्रहण क्षेत्र को एक इकाई मानते हुए जल प्रबन्धन में एकीकृत बहु-आयामी दृष्टिकोण से जल संसाधनों की आयोजना।
- राज्य में जल संसाधन की आयोजना नदी जलग्रहण एवं लघु जलग्रहण को इकाई मानते हुए सतही जल एवं भू-जल योजना के लिए समन्वित नीति अपनाकर प्रबन्ध करना।

राज्य जल नीति

1. जल आपूर्ति एवं विकास

1.1 जल आवंटन की प्राथमिकताएं

1.1.1 जल संसाधन प्रबंधन एवं आयोजना के लिए जल आवंटन की प्राथमिकताओं का क्रम निम्न प्रकार होगा :

(सर्वोच्च प्राथमिकता)

मनुष्य के लिए पेयजल

पशुधन के लिए पेयजल

अन्य घरेलु, वाणिज्यिक एवं नगर पालिका उपयोगार्थ

कृषि

उर्जा उत्पादन

पर्यावरण एवं परिस्थितिकी उपयोगार्थ

उद्योग

अन्य उपयोग जैसे सांस्कृतिक एवं पर्यटन संबंधी उपयोग

(निम्न प्राथमिकता)

इन प्राथमिकताओं में परिवर्तन आवश्यक होने पर हर पहलू—दर—पहलू जांच कर निर्णय किया जायेगा।

1.2 पेयजल आपूर्ति

1.2.1 राज्य सरकार प्रत्येक ग्रामीण एवं शहरी नागरिक को पर्याप्त सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराएगी।

ग्रामीण इलाकों एवं छोटे समुदायों में उपलब्ध पेयजल वितरण को जल प्रबंधन के साथ एकजुट किया जाएगा। पेयजल वितरण को पर्याप्त संसाधन वाली सामूदायिक भागीदारी

एवं स्वामित्व के द्वारा विकेन्द्रित किया जाएगा जिसमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पी.एच.इ.डी) विभाग द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। गांवों व ढाणियों तथा कस्बों में पेयजल वितरण की व्यवस्था व योजनाएं पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरपालिकाओं को संचालन करने हेतु बजट व कार्यकारी संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराये जायेंगे। इनके संचालन हेतु इनकी क्षमता विकास चरणबद्ध तरीके से की जावेगी।

1.2.2 सभी उपलब्ध स्त्रोत एवं पेयजल स्त्रोत पर पहला हक मनुष्य एवं पशुधन के पेयजल आवश्यकता पूर्ति का होगा। बहु—उद्देशीय सिंचाई योजनाओं में पेयजल को प्राथमिकता दी जायेगी।

1.2.3 भविष्य एवं वर्तमान की सभी सिंचाई एवं बहु—उद्देशीय परियोजनाओं में जहाँ पर भरोसे योग्य अन्य कोई पेयजल स्त्रोत नहीं है वहाँ पेयजल संघटक को भी शामिल किया जाएगा। पानी के संयुक्त उपयोग की नीति अपनाई जावेगी।

1.2.4 शहरी व ग्रामीण पेयजल योजनाएं स्थानीय वर्षाजल, भूजल के संयुक्त उपयोग को ध्यान में रखते हुए बनाई जावेगी, ताकि बाहर से सतही जल कम से कम लाने की आवश्यकता रहे।

1.2.5 बहु—उद्देशीय सिंचाई योजनाओं में भी पेयजल को प्राथमिकता दी जावेगी एवं मौजूदा योजनाओं में भी स्थानीय आवश्यकतानुसार पेयजल हेतु जल आरक्षित किया जावेगा।

1.3 जल उपलब्धता में वृद्धि

- 1.3.1 इस जल नीति का उददेश्य राज्य में उपलब्ध पानी की प्रत्येक बूंद का संग्रहण करना है। इस प्रयोजन हेतु सतही एवं भू-जल के संभावित एवं उपलब्ध जल संसाधन, रथाई एवं अरथाई जल स्त्रोतों की एक बृहद सूची तैयार की जायेगी। राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग इन जल संसाधनों को विकसित करने की योजना तैयार करेगा। जिससे कि आयोजना के दायित्व का निर्वाह हो सकेगा। पानी के अनुकूलतम उपयोग के कार्यक्रम के निष्पादन हेतु प्राथमिकता से बजट उपलब्ध कराया जावेगा। नई परियोजनाओं हेतु जलग्रहण सिद्धान्त लागू किया जावेगा।
- 1.3.2 आंकड़ों के संकलन की समीक्षा की जावेगी एवं आवश्यकतानुसार आंकड़ों के संकलन की गुणवत्ता में सुधार किया जावेगा।
- 1.3.3 उपभोक्ताओं की सहभागिता से बेसिन, सब-बेसिन, भूमिगत जलधर से संबंधित राज्य स्तरीय जल संसाधन एवं पर्यावरण विकास की योजनाएं बनाई जाएंगी।
- 1.3.4 प्रस्तावित नई परियोजनाओं का समाज पर प्रभाव का मूल्यांकन, उनकी पर्याप्तता, पर्यावरण, जल संसाधनों का संरक्षण और निरन्तर घटते भूजल, के आधार पर किया जायेगा।

सतही जल

- 1.3.5 पारम्परिक जल संग्रहण संरचनाओं का संरक्षण, नई संरचनाएं एवं नई तकनीक वाली जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा। छत के वर्षा जल के संग्रहण, अन्य वर्षा जल का संग्रहण, अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण को प्रबल रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा।
- 1.3.6 पानी के वाष्पीकरण से होने वाली छीजत को

मापने एवं जल संग्रहण संरचनाओं में इसे कम करने की संभावित पद्धतियों के लिए अनुसंधान किया जायेगा एवं परियोजनाओं का निष्पादन तदनुसार किया जावेगा।

- 1.3.7 आधुनिक जल संरक्षण तकनीक द्वारा खेती हेतु जल के दक्षतम सिंचाई पद्धति एवं जल के अनुकूलतम उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- 1.3.8 सभी बेसिन में उपचारित जल के पुनः उपयोग के तकनीकी एवं आर्थिक संभावनाओं का आंकलन किया जायेगा।

भू-जल

- 1.3.9 जनसहभागिता से भू जल दोहन का इस प्रकार प्रबंधन किया जाएगा कि वह औसत दीर्घकालीन पुर्नभरण से ज्यादा न हो।
- 1.3.10 भू-जल पुर्नभरण क्षमता का भी मूल्यांकन किया जाएगा जिसमें जल-विषम वाले एवं अत्याधिक जल दोहन वाले क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाएगा।
- 1.3.11 लवणीय भू-जल को काम में लेने योग्य बनाने हेतु उपलब्ध तकनीकों की विभिन्न परिस्थितियों में लागत-प्रभावकारिता का आंकलन किया जायेगा। प्रायोगिक परियोजनाओं की मद्द से इन तकनिकों की क्षेत्रीय परिस्थितियों में उपयोगिता आंकी जायेगी।
- 1.3.12 भू-जल के बेहतर उपयोग हेतु फव्वारा एवं बूंद-बूंद सिंचाई तकनीकों को प्रोत्साहित एवं और अधिक सुसाध्य बनाया जाएगा।
- 1.3.13 भू-जलधारी क्षेत्र में आधुनिक तकनीक पर आधारित योजनाएं बनायी जायेंगी तथा ग्राम स्तर पर एवं जलधारी क्षेत्र स्तर पर सामाजिक संरथाओं का गठन कर प्राथमिक जल वितरण पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा।

- 1.4 परियोजनाओं की संरचना एवं क्रियान्वयन**
- 1.4.1 आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण एवं वित्तीय आधारों पर जल संसाधन विकास परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी। परियोजनाओं का चयन केन्द्रीय जल आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत होगा।
 - 1.4.2 यथा सम्भव परियोजनाओं में सतही एवं भू-जल का एकीकृत उपयोग किया जायेगा।
 - 1.4.3 जल क्षेत्र से संबंधित विभागों की तकनीकी सहायता से हितभागियों द्वारा भविष्य में जल मांग के मात्रात्मक अनुमान तैयार किए जाएंगे।
 - 1.4.4 आयोजना, निर्माण और परियोजना संचालन काल में जल परियोजनाओं के प्रभावों, सामाजिक एवं पर्यावरण पर प्रभावों, का परियोजना से जुड़े प्राधिकारों द्वारा समीक्षा की जाएगी।
 - 1.4.5 परियोजना की शुरुआत वृहद जांच और विस्तृत परिकल्पना पर निर्भर करेगी जिसमें सामाजिक एवं पर्यावरण संबंधी आयाम अहम होंगे।
 - 1.4.6 प्रगतिरत परियोजनाओं का गुणदोष विवेचना कर उन्हें पूर्ण करने अथवा अनुपयोगी पाये जाने पर बंद करने को सुनिश्चित किया जावेगा।
 - 1.4.7 जल संसाधन परियोजनाओं एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी परियोजनाओं के विकास एवं प्रबंधन में जन एवं निजी सहभागिता को भी प्रोत्साहित किया जावेगा। शहरी क्षेत्र में पेयजल वितरण की व्यवस्था जन एवं निजी भागीदारी के द्वारा लागू की जावेगी।
 - 1.4.8 नई परियोजनाएं सुक्ष्म जलग्रहण क्षेत्र पर आधारित होगी जिससे आधिक्य जल के उपयोग में समानता सुनिश्चित होगी।
 - 1.4.9 किसी भी परियोजना का प्रतिवेदन बनाते समय कुछ पानी बांध के नीचे नदी में छोड़ने के लिए प्रावधान रखा जावेगा।
- 1.4.10 वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं के बजाय लघु सिंचाई परियोजनाओं/वाटरशैड पहुँच को प्रोत्साहित किया जावेगा।**
- सिंचाई की नई परियोजना की संरचना के समय उस योजना के जलग्रहण क्षेत्र में पूर्व में लागू की गई जलग्रहण योजनाएं एवं जल संग्रहण हेतु निर्मित ढांचों की जल संग्रहण क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही उपलब्ध जल की गणना की जावेगी।
- 1.5 इन्टर बेसिन एवं इन्टर सब बेसिन जल अपवर्तन**
- 1.5.1 राजस्थान में संभावित इन्टर बेसिन, अधिशेष जल क्षेत्रों से कम जल क्षेत्र में जल अपवर्तन की संभावनाओं की खोज की जाएगी। स्थानीय भागीदारी एवं पर्यावरण पर प्रभाव को इस खोज का हिस्सा बनाया जाएगा।
 - 1.5.2 अन्य राज्यों के साथ जल समझौतों की पूर्ण क्रियान्विति में एवं नदियों को आपस में जोड़ने के प्रयासों में राज्य के जल की हिस्सेदारी एवं अधिकारों की पैरवी की जायेगी।
- 1.6 सिंचित क्षेत्र विकास कार्य परियोजना का भाग**
- 1.6.1 वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की मूल प्रस्ताव में सिंचित क्षेत्र विकास के कार्य जैसे खेत सुधार कार्य, ड्रेनेज एवं खालों के निर्माण के कार्यों को सम्मिलित किया जावेगा।
- 2.0 एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM)**
- 2.1 जल उपभोक्ताओं का संगठन एवं भागीदारी**
- 2.1.1 एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM) के दृष्टिकोण को लागू किया जाएगा एवं इस हेतु पंचायती राज संस्थाओं का समुचित सशक्तिकरण किया जायेगा।

राज्य जल नीति

- 2.1.2 एकीकृत जल संसाधन प्रबन्धन (IWRM) के ढांचे में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा, जल उपभोक्ता समूहों को जल आधारित विषयों में आवश्यक तकनीकी उपायों की जानकारी प्रदान की जाएगी।
- 2.1.3 जल उपभोक्ता संगठनों के कार्यकारिणी के सदस्यों का चयन बड़े, लघु जल उपभोक्ताओं एवं महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- 2.1.4 दक्षतम संचालन की सीमा एवं एकीकृत जल प्रबन्धन के ढांचे में राज्य सरकार एवं उपभोक्ता संगठन के बीच के स्तर के संगठन को विकसित किया जायेगा।
- 2.1.5 जल संरक्षण हेतु सम्पूर्ण सामूदायिक चेतना जगाने के लिए संगठनों को उत्तरदायित्व सौंपा जायेगा और उनके माध्यम से अभियान चलाए जाएंगे। उन्नत जल प्रबन्धन एवं अति दोहन क्षेत्र में भू—जल दोहन नियंत्रण पर बल दिया जायेगा।
- 2.1.6 जल उपभोक्ता संगठनों को बेहतर सिंचाई जल उपयोग के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की जिम्मेवारी दी जायेगी। जल उपभोक्ता संगठनों के निम्न दायित्व भी हैं, परन्तु यह इन तक ही सीमित नहीं होंगे—
- जल विषयों पर सामूदायिक शिक्षा
 - दक्षपूर्ण एवं समान आधार पर जल वितरण
 - सामान्य जल संसाधन प्रबंधन
 - आधारभूत ढांचे का संचालन एवं रखरखाव
 - जल उपभोग के पूर्ण शुल्क की वसूली की ओर चरणबद्ध अग्रसर
- 2.1.7 जल क्षेत्र के विभागों द्वारा जल सम्बन्धित तकनीकी आंकड़े, निर्देशिका, सूचना आदि जल उपभोक्ता संगठनों एवं अन्य जल क्षेत्र के उपभोगकर्ताओं को प्रदान की जाएगी। कुशल डेटा वितरण, डेटा संग्रहण की निरन्तरता और आंकड़ों की निरन्तर गुणवत्ता पर नियंत्रण रखा जायेगा।
- ### 2.2 जल उपयोग समूहों के लिए संसाधन
- 2.2.1 प्रभावी जल संरक्षण, जल संसाधन प्रबंधन, जल गुणवत्ता रक्षण आदि के लिए जल उपभोक्ता समूहों के संगठन एवं प्रशिक्षण हेतु तकनीकी, संसाधन एवं सामग्री रूपी सहायता प्रदान की जाएगी।
- 2.2.2 जल परियोजनाओं के पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण के कार्यों में उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ किसान, जल उपभोक्ता संगठनों से जुड़ने की इच्छा रखते हों।
- 2.2.3 छोटे सामूदायिक स्तर पर जल उपभोक्ता संगठनों में जल संसाधनों के प्रबंधन, संचालन, रखरखाव एवं जल संरचना की शुल्क वसूली हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम को लागू किया जायेगा।
- 2.2.4 बड़ी जल संरचनाओं के प्रबंधन एवं उत्तरदायित्व निभाने हेतु जल उपभोक्ता समूहों को जल संसाधन विभाग द्वारा आवश्यक तकनीकी सहायता, दिशा—निर्देश प्रदान किये जायेंगे।
- 2.2.5 जल उपभोक्ता समूहों को जल शुल्क वसूलने एवं जल प्रणाली के रख—रखाव हेतु अधिकार दिये जायेंगे।

- 2.3 सामूदायिक स्तर पर तकनीकी प्रोत्साहन एवं सहायता**
- 2.3.1 राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग (SWRPD) जल संबंधित जानकारियों के प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करेगा एवं जल उपभोक्ता संगठनों को सक्षम बनाने में योगदान देगा।
- 2.3.2 जन जागरूकता हेतु एक अभियान चलाया जाएगा जिसमें समुदायों को उनके विधिक सामर्थ्य, अधिकार, उत्तरदायित्वों एवं जल संसाधन प्रबंधन के सामान्य संसाधनों की जानकारी दी जाएगी।
- 2.3.3 सामूदायिक जल प्रबंधन के लिए बहु-विषयक तकनीकी सहायता को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ साथ आवश्यक योजना जैसे जल संसाधन मॉडलिंग एवं नदी बेसिन/सब बेसिन/जलधर प्रबंधन की निर्देशिका उपलब्ध करवाई जाएगी।
- 2.3.4 जल प्रबंधन संबंधी कार्यों में जैसे समुदाय में चेतना एवं जागरण का कार्य, जल उपभोक्ता संगठनों की क्षमता विकसित करना, जल संरक्षण संबंधी कार्यों के डिजाइन, जल संरक्षण संरचना तथा एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन हेतु आयोजना एवं निर्माण कार्यों में गैर सरकारी संगठनों (NGO) की सहायता ली जाएगी।
- 3 सिंचाई जल**
- 3.1 सिंचाई पद्धतियां**
- 3.1.1 सतही जलापूर्ति का प्रथम उद्देश्य उपलब्ध जल से अधिकतम क्षेत्र में सिंचाई करना होगा। भू जल से सिंचाई के लिए मूल उद्देश्य भू-जल स्तर (वाटर टेबिल) को दीर्घ कालीन नुकसान पहुंचाए बिना, उपलब्ध जल से अधिकतम क्षेत्र की सिंचाई करना होगा। वर्तमान में भूजल दोहन को वैयक्तिक अधिकार समझे जाने वाले अनियंत्रित तरीके को हतोत्साहित किया जायेगा। इसके स्थान पर सामूदायिक संसाधनों को स्वामित्व प्रदान करने वाले सामूदायिक दायित्व की भावना विकसित की जावेगी।
- 3.1.2 समान और दक्षपूर्ण सिंचाई व्यवस्था को निम्न प्रकार से लागू किया जायेगा :—
- सिंचाई व्यवस्था में जल का न्यायसंगत एवं सामाजिक न्याय के आधार पर बंटवारा किया जाएगा।
 - नहर के शीर्ष एवं अंतिम छोर तक के बड़े और छोटे खेतों में जल उपलब्धता में विसंगतियों को बेहतर जल वितरण तंत्र की मदद से कम किया जाएगा।
 - समय आधारित सिंचाई जल वितरण व्यवस्था के स्थान पर आयतनमितीय (volumetric) आधार पर चरणबद्ध तरीके से वितरण व्यवस्था लागू की जाएगी।
 - किसानों को जल के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु शिक्षित किया जायेगा एवं प्रशिक्षण दिया जायेगा। आधुनिक सिंचाई पद्धतियों के प्रयोग हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।
- 3.1.3 कृषकों की सहायता हेतु ऐसी पद्धतियों का विकास किया जाएगा जिससे सिंचाई हेतु जल की आवश्यकता कम करते हुए अधिकतम उपज ली जा सके। इस कार्य हेतु कृषि विशेषज्ञों एवं कृषि विश्वविद्यालयों की सहायता भी ली जायेगी।
- 3.1.4 विभिन्न क्षेत्रों में जल के उपयोग की दक्षता में नवीन तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी लागू कर दक्षता में सुधार किया जावेगा।
- 3.1.5 दाबीय सिंचाई पद्धति को बढ़ावा दिया जावेगा।
- 3.1.6 कृषि अनुसंधान केन्द्र/कृषि विश्वविद्यालय/सिंचाई प्रबंधन संस्थान द्वारा कम जल से

<p>उपजने वाली फसलें एवं सिंचाई दक्षता में बढ़ोत्तरी हेतु अनुसंधान को प्राथमिकता दी जावेगी।</p>	<p>जल मौसम विज्ञान, सतही एवं भू जल सम्बन्धित आंकड़ों को यथाशीघ्र जल उपभोक्ता समूहों तथा जिला एवं ब्लाक स्तर के मध्यवर्ती स्तरों तक मामूली लागत पर इन्टरनेट की सहायता से पहुँचाने की व्यवस्था की जायेगी।</p>
<p>4 जल संसाधन आधारभूत ढांचा</p> <p>4.1 आंकड़ों का संकलन एवं प्रसार</p>	<p>4.2 सूचना प्रबंधन तंत्र</p>
<p>4.1.1 राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग द्वारा जल उपभोक्ता को मित्रवर सहायता करने वाला एवं सुरक्षित डेटाबेस उपलब्ध कराया जायेगा। यह डेटा बेस सार्वजनिक होगा एवं उपभोक्ता की मांग पर आंकड़े प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।</p>	<p>4.2.1 एक अन्तर विभागीय सूचना प्रबंधन तंत्र का विकास किया जाएगा।</p>
<p>4.1.2 राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग (SWRPD) डेटा की जांच एवं ऐन्ट्री, संकलन, बैक अप, डेटाबेस सुरक्षा एवं प्रबंधन, डेटाबेस संचालन में पारदर्शिता के साथ कार्य करेगा एवं जरूरत पड़ने पर डेटा तुरन्त उपलब्ध करायेगा।</p>	<p>4.2.2 जल सम्बन्धित सूचनाओं को जल उपभोक्ताओं की जरूरत के अनुसार संकलन, परिष्कृत, एवं उपलब्ध कराने का कार्य किया जायेगा।</p>
<p>4.1.3 इस डेटाबेस में हाइड्रो-मीटीरियोलोजिक, जल विज्ञान, भू-जल, जल गुणवत्ता आदि से संबंधित सूचनाओं के अतिरिक्त जल संसाधन से संबंधित जलउपभोक्ता समूहों, जनसंख्या एवं सामाजिक आंकड़ों के अभिलेख भी शामिल किए जाएंगे।</p>	<p>4.2.3 आंकड़ों के संकलन की निरंतरता सुनिश्चित की जाएगी और सभी पुराने अभिलेख डेटाबेस में शामिल किए जाएंगे।</p>
<p>4.1.4 जल विज्ञान संबंधी उपकरणों की गुणवत्ता, आंकड़ों की विश्वसनियता एवं आंकड़ों के संकलन की व्यवस्था की समीक्षा की जावेगी। इस हेतु आवश्यक उपकरण यंत्रों के रख-रखाव को सुनिश्चित किया जावेगा एवं आवश्यकतानुसार इन्हें उन्नत किया जायेगा।</p>	<p>4.2.4 भू-जल, बाढ़-क्षेत्र, पर्यावरण जौन आदि के मानचित्र तैयार किए जाएंगे।</p>
<p>4.1.5 भू जल की स्थिति के अध्ययन प्रणाली की समीक्षा की जायेगी। बोरहोल्स एवं भूजल स्तर मापक यंत्रों की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार सुधार किया जायेगा।</p>	<p>4.2.5 आम जन को सुलभ एक संदर्भ पुस्तकालय बनाया जाएगा जिसमें पूर्वकालिक एवं अब तक की सभी जल क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण रिपोर्ट एकत्रित होंगी। इन सभी स्त्रोतों की कम्प्यूटरीकृत सूची सार्वजनिक या निजी सुलभता के लिए तैयार की जाएगी।</p>
	<p>4.3 संरचनाओं की क्षमता एवं सुरक्षा</p>
	<p>'बांध सुरक्षा कमेटी' को प्रभावी एवं उचित आकार का बनाया जायेगा। यह कमेटी निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। कमेटी को निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालना करवाने के अधिकार होंगे।</p>
	<p>दैनिक आवक, उत्प्रवाह, वर्षा अभिलेख, संचयन स्तर, एवं अन्य प्रचलनीय दस्तावेज सभी प्रमुख बांधों पर रखे जाएंगे। वाधीकरण का भी सभी बड़े बांधों (Major Dams) पर प्रेक्षण किया जाएगा।</p>

- 4.3.3 जो समूदाय प्रमुख बांधों के तलहटी में बसे हैं उन्हें बाढ़/बांध टूटने की चेतावनी एवं आपातकालीन निष्क्रमण तरीकों को अपनाना होगा। आपातकालीन बंदोबस्तों को जिला प्रशासन द्वारा उचित समय—बाध्यता एवं विभागों की प्रतिक्रिया के लिए दो वर्ष में एक बार जाँचा परखा जाएगा। आपात स्थितियों के लिए सामाजिक तैयारी का भी आंकलन किया जाएगा और इनमें सुधार भी किया जाएगा।
- 4.3.4 सभी जल संरचनाओं जैसे बांध, नहरें, वीयर्स, बाढ़ नियंत्रण कार्य आदि के रखरखाव एवं क्षमता की समीक्षा समय—समय पर की जायेगी। जीर्ण—शीर्ण हो रही परियोजनाओं के पुनरुद्धार का समुचित प्रबन्ध किया जायेगा। भविष्य में रख—रखाव को प्राथमिकता दी जायेगी।
- 4.3.5 जल लेखा प्रणाली लागू की जायेगी।
- 4.3.6 सभी जल संसाधन परियोजनाओं का स्तर निर्धारण का कार्य अगले पांच वर्ष में पूरा कर लिया जायेगा जिससे इनकी दक्षता में सुधार होगा तथा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही आयेगी।
- 4.4 जल निकास एवं लवणीयता**
- 4.4.1 शुरुआती लवणीय क्षेत्र एवं वर्तमान लवणीय क्षेत्रों (बहुत कम जल निकास क्षमता वाले क्षेत्रों) के मानचित्र तैयार किए जाएंगे।
- 4.4.2 पुनर्वास योग्य लवणीय क्षेत्रों की खोज की जाएगी और उपचार के तरीकों की वित्तीय दृष्टिकोण से समीक्षा की जाएगी। जल उपयोग समूह को ऐसे क्षेत्रों को उपयोगी बनाने के आर्थिक पक्ष हेतु सुझाव दिए जाएंगे। कम लवणीय एवं प्रारम्भिक जलग्रस्ती क्षेत्रों के लिए स्थानीय समूदाय को बेहतर सिंचाई दक्षता, कम जल उपयोग करने, सिंचाई से जुड़े जल निकास को और बेहतर बनाने और लवण सहन करने वाली फसलों (हेलोफालिक) के प्रयोग हेतु शिक्षित किया जाएगा। लवणीयता कम करने के लिए जल संरक्षण के उपायों को काम में लाया जायेगा।
- 4.4.3 2000 हैक्टेयर से ज्यादा क्षमता वाली नई सिंचाई परियोजनाओं के प्रारूप में जल निकास एवं फसलों का क्षेत्र एवं फसलों का चक्र इस प्रकार निर्धारित किया जायेगा, ताकि लवणीयता बढ़ने की संभावना कम से कम हो। जल निकास तंत्र को परियोजना का आवश्यक भाग बनाया जायेगा।
- 4.5 शहरी जल आपूर्ति एवं दूषित जल निकास**
- 4.5.1 सभी शहरी क्षेत्रों के लिए मूलभूत जल एवं स्वच्छता सेवाओं की योजना बनाकर क्रियान्विती की जायेगी। इसमें कम से कम पर्याप्त जल की पाइपों द्वारा आपूर्ति एवं दूषित जल निकास प्रणाली, प्राथमिक स्तर पर दूषित जल प्रशोधन आदि शामिल हैं। चरणबद्ध रूप से जल दरें इस प्रकार से निश्चित की जायेंगी जो कि संचालन एवं रखरखाव की लागत को समाहित करेंगी। इससे जल उपयोग पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा।
- 4.5.2 ऐसे कार्यक्रम शारू किए जाएंगे जिनसे शहरी क्षेत्र में दूषित जल के निकास एवं प्रशोधन हेतु सीवरेज प्रशोधन संयत्र (STP) के निर्माण की आवश्यकता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति जन मानस में जागरूकता पैदा होवे।
- 4.5.3 शहरी क्षेत्र में जल संरक्षण तथा जल पुनःचक्रीयकरण हेतु शहरी निकायों के उपनियमों में समुचित प्रावधान किये जावेंगे व स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मापदण्ड भी निर्धारित किये जायेंगे।

राज्य जल नीति

5 जल संरक्षण	5.3.2	खान विभाग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगा कि जिस भू जल का खनन के दोरान दोहन किया गया है वह आवश्यकतानुसार रसायनिक प्रदूषण को दूर करने के पश्चात किसी लाभदायक कार्य के लिए उपयोग किया जाए।
5.1 सामान्य जल संरक्षण	5.3.3	सभी बड़े एवं छोटे उद्योगों के जल अंकेक्षण एवं मापन हेतु एक आवर्ती कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। सभी बड़े एवं लघु उद्योगों के औद्योगिक जल उपयोग का एक रजिस्टर भी तैयार किया जाएगा। इस जल अंकेक्षण में मात्रात्मक जल उपभोग, जल पुनःचक्रण एवं संरक्षण की क्षमता एवं संभावित प्रदूषण की मात्रा की जानकारी होगी।
5.1.1 जल बचत तकनीकों के व्यवहारिक प्रयोग एवं जागरूकता को बढ़ाया जाएगा। जल उपभोग को और बेहतर बनाने के लिए मल्टी मीडिया से जागरूकता, स्कूली शिक्षा, एवं तकनीकी सहायता द्वारा सभी वर्गों को एक निरंतर कार्यक्रम द्वारा प्रेरित किया जाएगा।		
5.1.2 प्रत्येक प्रकार के अपशिष्ट, प्राथमिक एवं द्वितीय प्रशोधित सीवेज जल, घरेलू उपयोग में लिया हुआ जल एवं पुनःचक्रित औद्योगिक जल आदि के उपयोग हेतु उचित प्रणाली का विकास किया जाएगा।		
5.1.3 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में छत के वर्षा जल संग्रहण को प्रोत्साहित किया जायेगा।		
5.2 शहरी जल संरक्षण	5.4	ग्रामीण एवं कृषि जल संरक्षण
5.2.1 जल रिसाव एवं जल वितरण में अनाधिकृत जल दोहन को रोकने के लिए एक आवर्ती प्रोग्राम हाथ में लिया जाएगा। जल वितरण से सम्बंधित सभी प्राधिकारों को बेहिसाब जल (अनअकाउन्टेड जल) को कम करना होगा। इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा की सभी जल मीटर सही कार्य कर रहे हैं।	5.4.1	सिंचाई दक्षता में सुधार हेतु कार्यक्रम विकसित किया जाएगा एवं क्रियान्वित किया जाएगा।
5.2.2 जल हानि को रोकने हेतु कार्यक्रम चलाया जाएगा।	5.4.2	सिंचाई में जल हानि को कम करने के लिए एक आवर्ती कार्यक्रम चलाया जायेगा।
5.3 नगरपालिका एवं औद्योगिक जल संरक्षण	5.4.3	खेतों को पानी से भर कर सिंचाई के विकल्प के स्थान पर दाब सिंचाई तंत्र जैसे बूंद बूंद एवं फवारा सिंचाई को प्रोत्साहन दिया जायेगा।
5.3.1 सीवेज निकास के पुनः उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा एवं उचित प्रशोधन के पश्चात् इसे नगरपालिका उपयोगों जैसे औद्योगिक उपभोग एवं अन्य उपयोग जैसे बागवानी, लाभदायक सतही उपयोग एवं भू जल पुनर्भरण हेतु उपयोग में लिया जाएगा। अधिक जल उपयोग करने वाले उद्योगों को जल को पुनःचक्रित कर उपयोग करना होगा।	5.4.4	सिंचाई पश्चात् बचे हुए जल के पुनः प्रयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा।
	5.4.5	जलोत्थान द्वारा सिंचाई करने पर मीटर लगाना आवश्यक किया जायेगा।
	5.4.6	जलग्रहण क्षेत्र (watershed) प्रबंधन को प्रत्येक बेसिन पर लागू किया जाएगा।
	5.4.7	सभी सिंचाई परियोजनाओं पर बाराबन्दी आवश्यक रूप से लागू की जावेगी।

5.5 भू जल		
5.5.1 भू-जल दोहन को नियंत्रित करने हेतु समूचित कानूनी प्रावधान किये जायेंगे ।	6.1.4	पर बेहतर घरेलू जल गुणवत्ता हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम चलाया जाएगा ।
5.5.2 भू-जल पुनर्भरण के विषम उपाय किये जायेंगे तथा अत्यधिक उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यक होगा कि वे भू-जल दोहन को पुनर्भरण से पूरित करें ।	6.1.5	स्थानीय पेयजल में फ्लोराइड अधिकता वाले क्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा की जायेगी और जरूरत पड़ने पर उपचारात्मक उपाय भी किए जाएंगे ।
5.5.3 राज्य में उपलब्ध ड्रिलिंग रिंग्स से प्राप्त भू-जल से सम्बन्धित आंकड़ों को एकत्रित कर 'डेटा बेस' बनाया जायेगा । भू-जल स्तर में गिरावट का विश्लेषण कर वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी ।	6.1.6	सभी प्रदूषण स्त्रोत बिन्दुओं की एक आवर्ती सूची बनाई जाएगी ।
5.5.4 चयनित क्षेत्रों में एकीकृत जल संसाधन प्रबन्धन में भू-जल की गिरावट, संग्रहण एवं स्थायित्व को महत्व दिया जायेगा ।	6.1.7	इससे पहले कि निष्कासित जल को प्राकृतिक जल स्त्रोतों में छोड़ा जाए या कि भू जल पुनर्भरण के उपयोग में लिया जाए समस्त निष्कासित जल का भारतीय मानकों के अनुसार उपचार किया जाएगा ।
5.5.5 भू जल के दक्षतापूर्ण उपयोग हेतु जलधर स्तरीय (Acquifer Level Planning) आयोजना एवं प्रबन्धन विकसित किया जायेगा ।		जल प्रदूषण फैलाने की आशंका वाले औद्योगिक ठोस पदार्थों का निपटारा विशेष सुविधाओं द्वारा एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के आधार पर किया जाएगा । प्रदूषित जल को भू-जल अथवा सतही नालियों में छोड़ने पर प्रतिबन्ध होगा । पुनःचक्रीय जल के कृषि में उपयोग हेतु समग्र दृष्टि से मापदण्ड भी तय किये जायेंगे ।
6 जल गुणवत्ता		
6.1 जल गुणवत्ता एवं प्रदूषण		
6.1.1 विभाग की विश्लेषण क्षमता, मॉनीटरिंग, एवं जल मानकों के अनुरूप होने की समीक्षा की जाएगी ।	6.2.1	गन्दा पानी (Sewerage water)
6.1.2 जिला स्तर पर जल की मूल गुणवत्ता, जन स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा स्थानीय निकायों के साथ विचार-विमर्श कर की जायेगी । जिला स्तर पर एक आवर्ती (Rolling) प्रोग्राम विकसित किया जाएगा जो जिला स्तर पर जल विश्लेषण क्षमता में सुधार करेगा । सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी से जल के नमूनों और विश्लेषण की प्रभावी लागत की समीक्षा की जाएगी ।	6.2.2	स्थानीय निकायों की सहायता से समस्त शहरी एवं उच्च प्राथमिकता वाले ग्रामीण ईलाकों में सीवेज प्रशोधन संयन्त्र (एस.टी.पी) के आकलन एवं निर्माण का एक कार्यक्रम लागू किया जाएगा । प्रशोधित निष्कासित जल के निपटारे में पूर्णकालिक स्वास्थ्य मानकों की पालना की जाएगी । अपशिष्ट जल का प्रशोधन लाभकारी पुनरुपयोग आवश्यकता के अनुसार तय किया जायेगा ।
6.1.3 जन स्वास्थ्य पर खतरों को देखते हुए प्राथमिकता		

राज्य जल नीति

6.2.3	गंदे जल को कृषि उपयोग में लिये जाने हेतु मापदण्ड तय किये जावेंगे ।	7.2.2	नई जल संसाधन विकास योजनाओं के लिए संभाव्यता सम्बन्धी अध्ययन किए जाएंगे एवं सूखा प्रभावित क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी ।
7.	पर्यावरण	7.3	बाढ़ नियंत्रण एवं जल संग्रहण:
7.1	पर्यावरण प्रबंधन	7.3.1	अधिक बहाव वाली नदियों पर क्रियाशील बाढ़ पूर्वानुमान तंत्र स्थापित किया जाएगा ।
7.1.1	पर्यावरण की दृष्टि से सीमान्त एवं संवेदनशील क्षेत्रों पर मौसम की प्रवृत्तियों का दीर्घकालीन प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा एवं इसकी जानकारी समुदाय स्तर पर उपलब्ध कराई जायेगी जिसका कि उनके द्वारा एकीकृत जल प्रबंधन योजनाओं की प्लानिंग के लिए काम में लिया जायेगा ।	7.3.2	बाढ़ से खतरों के अनुमान हेतु संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को वर्गीकृत किया जाएगा । हर बाढ़ संभावित बेसिन/क्षेत्र के लिए एक आपातकालीन बाढ़ नियंत्रण एवं प्रबंधन योजना तैयार की जाएगी ।
7.1.2	सभी प्रस्तावित वृहद एवं मध्यम जल संसाधन परियोजनाओं से पर्यावरण पर प्रभाव का स्वतंत्र अध्ययन किया जाएगा । उच्च प्राथमिकता अधिक अनुवांशिक विविधता वाले पर्यावरण तंत्रों की एक सूची तैयार करके उसमें मानव प्रभावों को आंका जाएगा ।	8	जल शुल्क
7.1.3	वृहद एवं मध्यम जलाशय परियोजनाओं का अनुप्रवाह (Down Stream) की ओर रहने वाले उपयोगकर्ताओं पर पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को योजना स्तर पर प्राथमिकता से विचार किया जायेगा ।	8.1.1	जल दरें इस प्रकार निर्धारित की जाएगी जिससे जल की कमी का अहसास हो तथा उपभोक्ता को जल के उपयोग में सावधानी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके । जल शुल्क निर्धारण के समय यह ध्यान रखा जायेगा कि समाज के गरीब एवं कमज़ोर तबके के लोग जो कि जल शुल्क वहन करने की स्थिति में नहीं हो उनको भी न्यूनतम आवश्यक पेयजल प्राप्त हो ।
7.1.4	झीलों एवं आर्द्ध भूमि का संरक्षण एवं प्रबंधन इस प्रकार किया जाएगा जिससे पर्यावरण प्राकृतिक अनुवांशिक निरन्तरता बनी रहे । नए आर्द्ध भूमि के निर्माण पर विचार किया जाएगा	8.1.2	जल शुल्क, पूर्ण संचालन खर्चों की वसूली की ओर चरणबद्ध रूप से अग्रसर होते हुए निर्धारित की जाएगी । इसके अनुरूप ही संचालन की दक्षता और रखरखाव में क्षमता विकास किया जाएगा ।
7.2	सूखा प्रबंधन	8.1.3	सभी गैर कृषि जल वितरण के लिए तीन या चार स्तरीय जल शुल्क होगा जिसमें सर्वाधिक जल प्रयोग के लिए सबसे ज्यादा शुल्क वसूला जाएगा । इस स्तरीय (Stepped) जल शुल्क को इस तरह निर्धारित किया जाएगा की निम्न एवं अधिकतम जल दरों में परिमाण का भेद हो । जल शुल्क के पहले स्तर पर जल सरता होगा और सभी जल उपभोक्ताओं के लिए समान होगा ।
7.2.1	जल संसाधन प्रबंधन में सूखा प्रभावित क्षेत्रों की जल मांग को प्राथमिकता दी जाएगी । सामुदायिक एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन की मदद से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सूखे के प्रति बहुआयामी तरीकों को जल से सम्बन्धित विभागों को तकनिकी सहयोग से प्रोत्साहित किया जाएगा ।		

8.1.4 कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक एवं नगरपालिकाओं के जल उपयोग पर विभिन्न स्तरीय जल दरें लागू की जा सकती हैं। सभी मामलों में उच्च जल दर द्वारा अनावश्यक जल उपयोग को हतोत्साहित किया जा सकेगा।

8.1.5 जल प्रबंधन कार्य हेतु जल उपभोग मापन कार्यक्रम को सभी महत्वपूर्ण जल स्रोत अथवा जल स्वामित्व वाले उपभोक्ताओं पर लागू किया जाएगा।

9. विधिक अधिकार

9.1.1 जल क्षेत्र कानून की आलोचनात्मक समीक्षा की जाएगी। अप्रचलित कानूनों को हटाया जाएगा। आधुनिक एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के लिए जरूरी नियम बनाये जायेंगे एवं विद्यमान नियमों को संशोधित किया जायेगा।

9.1.2 स्थानीय जल उपभोक्ताओं की भूमिका, अधिकार एवं उत्तरदायित्वों का कानून में निर्धारण किया जाएगा, जिससे वे अपने जल संसाधनों का खुद प्रबंधन कर सकें। इन विधायी प्रावधानों द्वारा किसानों, गरीबों एवं महिलाओं को समाविष्ट करते हुए जल उपभोक्ता समूहों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जायेगा। जिससे स्थानीय जल उपभोक्ता समूह में उनकी भूमिका हो सकेगी।

9.1.3 भू-जल दोहन एवं विशेषकर क्षीण एवं अतिशोषित भू-जल क्षेत्र में भू-जल दोहन के नियंत्रण एवं प्रबन्धन हेतु विधिक संरचना का विकास किया जायेगा। इस प्रकार के विधिक तंत्र में अत्यधिक परिमाण में जल का उपयोग करने वाले उपभोक्ता द्वारा जल के क्षतिपूरक उपाय, जल संरक्षण एवं भू-जल पूर्भरण के कार्य का प्रावधान रखा जायेगा।

9.1.4 जल क्षेत्र में विवादों को हल करने हेतु विधिक संरचना का विकास किया जाएगा। यह समुदाय के स्तर पर समाधानों से शुरू होगी एवं इसमें सरकार में उच्च स्तर तक अपील की जा सकेगी।

9.1.5 मौजूदा जल इकाइयों को अनाधिकृत निर्माण, अतिक्रमण एवं प्रदूषण से बचाने के लिए विधिक संरचना का विकास किया जायेगा। अहम प्रदूषण की दशा में स्थानीय जल उपभोक्ता समूहों की यह जिम्मेवारी होगी कि वे सम्बन्धित विभाग से तकनीकी एवं अन्य सामग्री की सहायता प्राप्त कर प्रदूषण को समाप्त करने की युक्ति करें।

10. क्षमता विकास

10.1.1 सामुदायिक, मध्यस्तर एवं राज्य स्तर पर संस्थानिक क्षमता का विकास किया जाएगा। इस क्षमता विकास में सभी स्तरों पर पुनः दिशा-निर्देशन द्वारा राज्य आधारित प्रचलित अभियांत्रिकी जल संचालन प्रबन्धन के स्थान पर पूर्ण सामूदायिक सहभागिता सम्बन्धी दृष्टिकोण अपनाना होगा।

10.1.2 सामुदायिक क्षमता विकास में संरचनात्मक, अधिकार एवं उत्तरदायित्वों आदि में जल उपभोक्ता समूहों एवं जल क्षेत्र के अन्य समुदाय आधारित हितभागियों का प्रशिक्षण शामिल होगा।

10.1.3 राज्य स्तर पर क्षमता विकास की दिशा इस प्रकार होगी (अ) उनके कौशल को और अधिक बढ़ाना (ब) बेहतर तकनीकी सहायता (स) डाटा प्रोसेसिंग (द) बेसिन जल संसाधन प्रबंधन हेतु योजना पर अधिक बल एवं नई दिशा (य) कार्य प्रणाली की अधिक स्वायत्ता (र) प्रतिक्रियात्मक प्रशासन के स्थान पर अग्रसक्रिय हो प्रश्नात्मक परीक्षण एवं (ल) जल संसाधन समीक्षा का दृष्टिकोण विकसित करें।

10.1.4 योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन करने वाली पारम्परिक भूमिका को छोड़ जल उपभोक्ता समूहों आधारित उपभोक्ताओं को समय रहते दक्ष तकनीकी एवं भौतिक सहायता प्रदान करना प्रमुख कार्य होगा। सरकारी ऐजेन्सियों एवं जल उपभोक्ता समूहों के बीच विशेषकर तकनीकी सूचना के आदान-प्रदान हेतु बेहतर संचार के

- लिए प्रभावी साधन विकसित किए जाएंगे।
- 10.1.5 कुछ सिद्धांत जैसे सामूदायिक जल प्रबंधन की जरूरत, जल संरक्षण, जल प्रबंधन, अनूकूलतम जल उपभोग आदि को स्कूल एवं प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा।
- 10.1.6 जल की कमी के बारे में जागरूकता के पश्चात सामूदायिक जल प्रबंधन की व्यावहारिकता, बेहतर जल उपभोग में दक्षता, बेहतर जल संरक्षण के उपाय, जल सम्बन्धित जन स्वास्थ्य एवं बेहतर जल निकास स्वच्छता आदि में जन शिक्षा शुरू की जाएगी। सामूदायिक जल संरक्षण प्रबंधन हेतु मानव संरचना एवं सरकार से सूचना एवं संसाधन प्राप्त करने की स्थानीय स्तर पर क्षमता वृद्धि के प्रयास किये जायेंगे।
- 10.1.7 राज्य सभी जल क्षेत्र की विधाओं में प्रशिक्षण को प्रोत्साहित एवं समर्थन देगी जिसमें एकीकृत जल विकास, जल वितरण, सामाजिक ढांचा, जन स्वास्थ्य, रासायनिक एवं माइक्रो-बायोलोजिकल जल गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन, सूखा क्षेत्र एवं खारे जल से कृषि आदि को बढ़ावा का समावेश होगा।
- 10.1.8 उचित, उपयुक्त एवं सटीक और निरंतर मौसम जल विज्ञानी, भू जल, जल उपभोग, एवं जल गुणवत्ता आंकड़ा संग्रहण की विभिन्न राजकीय विभागों की क्षमता की समीक्षा की जाएगी। ऐतिहासिक आंकड़ों (डेटा) की सटीकता, पूर्णता, विश्वसनीयता एवं व्यवस्थित एवं अव्यवस्थित त्रुटियों आदि के लिए जांच की जाएगी एवं इन कमियों को दूर करने एवं सीमित करने हेतु पद्धतियां लागू की जाएंगी।
- 10.1.9 मानवीय एवं पंजीकृत आंकड़ा संकलन, भौगोलिक सूचना तंत्र, डेटाबेस, वेबसाइट, का विकास भौगोलिक सूचना तंत्र उपयोजन, कम्प्यूटर मॉडलिंग (भू जल, सतही जल, एवं बेसिन हाइड्रोलॉजी), भू जल पुनर्भरण,
- जल संसाधनों के आंकलन एवं परिवर्तन और बेहतर सिंचाई क्षमता प्राप्त करना आदि क्षेत्रों में तकनीकी क्षमता का विकास किया जाएगा।
- 10.1.10 विभागीय कार्य प्रणाली में सुधार किया जाकर विभागीय अधिकारियों की सोच को निर्माण कार्य से जल प्रबंधन की ओर बदला जावेगा।
- ## 11 संस्थागत सुधार
- 11.1.1 जल नियामक अभिकरण का गठन किया जायेगा।
- 11.1.2 सेवा प्रदान करने की दक्षता में सुधार लाने हेतु जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं भू-जल विभाग में संस्थागत सुधार किये जायेंगे।
- ## 12 अनुसंधान
- 12.1.1 राजस्थान के आलोचना पूर्ण जल सम्बन्धित विषयों पर केन्द्रित जल संसाधन अनुसंधान को शैक्षणिक एवं अन्य सरकारी संस्थानों में प्रोत्साहित किया जाएगा एवं इन दोनों इकाईयों में सहभागिता की भावना का विकास किया जाएगा। अनुसंधान में आन्तरिक एवं बाह्य विशेषतः अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ संस्थानों से सहयोग की सभावनाओं की खोज की जाएगी।
- 12.1.2 कृषि विश्वविद्यालय में सिंचाई की नवीनतम पद्धति के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जायेगा, जिससे जल उपयोग की कुशलता बढ़े। अधिक से अधिक अनुसंधान किसान के खेत पर ही करने पर जोर दिया जावेगा।
- ## 13 राज्य जल नीति एवं कार्य योजना की मॉनिटरिंग एवं मुख्यांकन
- 13.1.1 जल नीति की कार्य योजना बनाने एवं क्रियान्वयन राजीव गांधी जल मिशन के अन्तर्गत भी किया जायेगा।



राजस्थान सरकार

मंत्रिमण्डल की आज्ञा

55 / 2010

दिनांक 17 फरवरी, 2010 को आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन संख्या SWRPD/जलनीति/2010 दिनांक 16 फरवरी, 2010 पर विचार-विमर्श कर ज्ञापन में अंकित प्रस्तावित राज्य जल नीति संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुये ज्ञापन के संलग्न तत्सम्बन्धी नीति के प्रारूप का अनुमोदन किया गया ।

(टी. श्रीनिवासन)
मुख्य सचिव

प्रमुख शासन सचिव,
जल संसाधन विभाग ।
डी. 55 / म.म. / 2010
जयपुर, दिनांक: 18 फरवरी, 2010

